



दक्षिण मध्य रेलवे SOUTH CENTRAL RAILWAY
प्रविस का कार्यालय P F A'S OFFICE
रेल निलयम RAIL NILAYAM, सिकंदराबाद SECUNDERABAD

सं.No.एएडी AAD/टीT01/बीएसBS/जिल्दVOL.II(ओजीOG)दि./Dated : 18.11.2021

कार्यालय आदेश सं./OFFICE ORDER NO. 110/2021 दिनांकित/DATED 18.11.2021

श्री संतोष कुमार, लेखा सहायक, वरि.मंविप्र/का/नांदेड, द.म.रेलवे का प्रविस/का/पूर्व मध्य रेलवे में निम्नतम वरीयता पर कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में अंतर रेलवे स्थानांतरण अनुरोध को दोनों रेलवे के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है. तदनुसार, कर्मचारी को प्रविस/का/पूर्व मध्य रेलवे में स्थानांतरित किया जाता है.

The Inter Railway Request Transfer of Shri.Santosh Kumar, AA from Sr.DFM/O/NED, S.C.Railway to PFA's office East Central Railway on bottom seniority as Junior Accounts Assistant has been approved by the competent authority of both the Railways. Accordingly, the employee is transferred to PFA's office, East Central Railway.

पूर्व मध्य रेलवे में उनका स्थानांतरण निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है: -

His transfer to ECR Railway is subject to the following terms and conditions:-

1. वह किसी भी स्थानांतरण लाभ, कार्यभार ग्रहण समय आदि के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि स्थानांतरण कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर है.

He will not be eligible for any transfer benefits, joining time etc. as the transfer is at the employee's own request.

2. उन्हें नए रेलवे में झूटी रिपोर्ट करने की तारीख से सभी स्थायी और अस्थायी कनिष्ठ लेखा सहायकों में निम्नतम वरीयता पर रखा जाएगा.

He will be assigned bottom seniority to all permanent and temporary JAAs on the date of his reporting for duty in the new Railway.

3. वह किसी भी परिस्थिति में आगामी तारीख से अपने मूल रेलवे (अर्थात द.म.रेलवे) में पुनः स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा.

He will not seek re-transfer to his parent Railway (i.e. S.C.Railway) at a later date under any circumstances.

4. बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)I-2001/टीआर-16 दिनांकित 21.11.2001 (आरबीई-229/2010) में निहित अनुदेशों के अनुसार उन्हें उचित पहचान पत्र के साथ कार्यभार से मुक्त किया जाए.

He may be relieved with proper identity in terms of instructions contained in Board's Letter No.E(NG)I-2001/TR-16 dated 21.11.2001 (RBE-229/2010).

5. कार्यभार से मुक्त करते समय उनके विरुद्ध कोई भी अनुअनि/सतर्कता/विपुस्था के मामले लंबित या विचाराधीन नहीं होने चाहिए.


There should be no DAR/Vigilance/SPE cases pending or contemplated against him at the time of relief.

6. उन्हें आगे की तैनाती के लिए पूर्व मध्य रेलवे के प्रविस (प्रशासन) को रिपोर्ट करने के अनुदेश देते हुए कार्यभार से मुक्त किया जाए.

He may be relieved with instructions to report to PFA(Admn) of East Central Railway for further posting.

इसे प्रविस/दमरे के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

This issues with the approval of competent authority.


(जे.वैष्णवी J.Vaishnavi)

वसविस सा/ Sr.AFA/G

कृते प्र विस/सिकं for P F A / SC

दि./ Date: 18.11.2021

सं.No.एएडीAAD/टीT01/बीएसBS/जिल्दVOL.II

प्रतिलिपि/Copy to:-

1.PFA/East Central Railway/Hajipur w.r.t. your

Lr.No.ECR/Fin/Admn/IRT/Inward/V, dated 28.07.2021.

2.Sr.DFM/NED for information and necessary action w.r.t.your Lr.No.AAD/Reg Transfer/NED-VOL-II, dated 10.12.2020.

3.P.File 4.O.O.File 5.Individual.

कृते प्रविस/सिकं./for PFA/SC